

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नोखा
सुपादेवी पत्नी किशनाराम जाति सुथार निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवा
नं. 3 पंचारिया ट्यूबवैल के पास, नोखा जिला बीकानेर
बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा
किस्म मुकदमा राजस्व दावा संख्या 10 /2020 U/S 88 RTA & 136 RLRA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
28.01.2020	<p>यह दावा वादीनी सुपादेवी की ओर से अधिवक्ता श्री मेघाराम गोदारा ने पेश किया। जो सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम सुपादेवी पत्नी किशनाराम अंकित है जबकि वाके रोही पांचू दक्षिण के खेत खसरा नम्बर 6344 रकबा 6.87 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम सुखी पत्नी किशनाराम नाम अंकित है। जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।</p> <p>हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही पांचू दक्षिण के खेत खसरा नम्बर 6344 रकबा 6.87 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम सुखी पत्नी किशनाराम के स्थान पर सुपादेवी पत्नी किशनाराम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।</p>	

28/1/20
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

